

कार्यालय जिलाधिकारी, बुलन्दशहर ।

पत्रांक 154 /सि0 पें0 /कोषा0 /2018-2019,
दिनांक 11-05-2018

समस्त आहरण-वितरण अधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष),
जनपद-बुलन्दशहर ।

विषय: वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन संशोधन के सम्बन्ध में ।

वित्त(सामान्य) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या-सा-23/2017/सा-3-329/दस-2017/308/2016 दिनांक 18 जुलाई 2017 एवं शासनादेश संख्या-सा-31/2017/सा-3-524/दस-2017/308(8)/2016 दिनांक 04 सितम्बर 2017 के अनुसार वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में दिनांक 10/10/2017 को जिला पंचायत,सभागार में जिले के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों की एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया । इस सम्बन्ध में मुख्य कोषाधिकारी के पत्र संख्या 661/सि0पें0/कोषा0/2017-2018 दिनांक 08/12/2017 एवं अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 80/सि0पें0/कोषा0/2018-2019 दिनांक 25/04/2018 के द्वारा भी जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को सैवानैवृतिक देयों के भुगतान के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया ।

ऐसा संज्ञान में आ रहा है कि अभी भी विभागों में वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन विषयक कुछ प्रकरण लम्बित हैं ।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि अपने कार्यालय से सम्बन्धित पेंशनरों के प्रकरणों को शासनादेशों के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत रुचि लेकर निस्तारण करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या दिनांक 22/05/2018 तक कोषागार में प्रस्तुत करें।

(अनुज कुमार झा)

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर

पत्रांक: /सि0पें0/कोषा0/पें0दि0/2018-19,दिनांक उपरोक्त ।

प्रतिलिपि :-

- 1- निदेशक,कोषागार उ0प्र0,1018,जवाहर भवन,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- निदेशक,पेंशन निदेशालय उ0प्र0,इन्दिरा भवन,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी,बुलन्दशहर को अनुश्रवण हेतु प्रेषित ।
- 4- उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था,जनपद-बुलन्दशहर ।

5- जिला सूचना अधिकारी उ0प्र0 सूचना प्रेस, बुलन्दशहर को यह अनुरोध है कि यह दि. दि. 11/5/18 पर अपलोड करने का प्रयास करें।

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर

Chief Treasury Officer

Bulandshahr

11/5/18